दिनांक	आदेश पत्र
15/12/25	पत्रावली प्रथम बार। वादी प्रार्थी एवं प्रार्थी द्वारा मौखिक-बार आवाज किलवाई गई लेकिन न्यायालय कक्ष तक हाजिर नहीं आये। अतः प्रा० पत्र अ० धारा 212 मा०वि० प्रार्थी अनुपस्थिति व अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद मुद्दाही आवेदन अनुसार निर्णय अभिलेख दिनांक 15/12/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायाधीश
सहायक कलक्टर (मु.) सीकर